मैल

(142)

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2

संख्या- 11/2020/449/अस्सी-2-2020-100(8)/2020

लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर,2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1964) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली,1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-03/2020/134/अस्सी-2-2020-100(8)/2020, दिनांक 15 मई,2020 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, शब्द **"20 वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होंगे कि नवीकृत बैंक प्रत्याभूति सम्पूर्ण अवधि के दौरान आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी"** के स्थान पर शब्द **"20 वर्ष की अवधि के लिये मण्डी उप स्थल होंगे"** रख दिये जायेंगे।

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 11 /2020/449/अस्सी-2-2020-100(8)/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित के कृपया दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशित कराते हुए गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा / श्री कलुआराम ,पुत्र श्री निनुआराम,बसई ताजगंज तहसील व जिला आगरा।
5. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा।

आज्ञा से,

(समर बहादुर)
अनु सचिव।

उप निदेशक

निदेशक
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश
व्यापार निदेशालय, उ0प्र0
14-12-2020

14/12

उप निदेशक
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश
व्यापार निदेशालय, उ0प्र0

1952
14/12/20